

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर, दिनांक - 5 OCT 2023

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर।

विषय:-नव सृजित वाणिज्यिक न्यायालय जिला श्रीगंगानगर हेतु  
आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक  
27.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक  
27.09.2023 के द्वारा नव सृजित वाणिज्यिक न्यायालय जिला श्रीगंगानगर  
हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय राज्यपाल महोदय की  
स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पै-स्केल	पै-बैंड/ पै-सेवल/ ग्रेड-पै	पै-नेटिवस	पदों की संख्या
1	पीएससी अधिकारी	-	-	-	1
2	सीनियर मुंसरिम	15600-39100	L-14/ 5400	56100	1
3	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	9300-34800	L-12/ 4800	44300	1
4	रीडर ग्रेड-1	9300-34800	L-11/4200	37800	1
5	लिपिक ग्रेड-1A	5200-20200	L-8/ 2800	26300	1
6	लिपिक ग्रेड-1B	5200-20200	L-5/ 2400	20800	1
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	L-1/ 1700	17700	4
	कुल				10

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीएससी अधिकारी के कक्ष हेतु 1 A.C.	0.45
	योग	6.02

यह व्यय लेखासंख्या 2014-00-115-(20)-[01]01(राज्य विधि)(प्रतिबद्ध) के अन्तर्गत प्रभार्य होगा।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। नवीन भवन निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार राशि रुपये 297.10 लाख (केन्द्रीय/राज्य राशि


रुपये 178.26 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 118.84 लाख) लेखामद 4059-80-051-03-03-17 वृहद निर्माण कार्य में उपलब्ध बजट प्रावधान से स्वीकृत किये जाते है।

अतः भवन निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त नवीन न्यायालय हेतु राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने तक के लिये भवन किराये पर लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102302000 दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय



प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, विधि विभाग को केन्द्रीयंश की राशि प्राप्त किये जाने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक: G//A-4(i)(a)128/2023/ 865-867

दिनांक: 16-10-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, श्रीगंगानगर।
3. OSD (Computer) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को Website पर Upload करने बाबत।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)